

श. 618

पत्रावली गेरा डूडा, वादी हाजिरा। ग्राम मोहम्मद गाँव की
जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता - सं. नया पुराना
221-218, सौदात, सूरजान रामधन, रामपुसाय,
हेमराज, भागवत, लाला पि. किराना व
मु. नौसर बेका किराना कौम भीम के नाम दर्ज था।
नामान्तरकरण सं. 608, दिनांक 27-8-15 बेचान

शापरी

सै रनाथरी पत्नी पप्पुलाल मील के नाम दर्ज हो गया।
 वादीगण का कथन है कि द्वाराजी उनकी पुर्तगीय
 प्रतिवादी से. 1 सै 8 के गभत आवंटन हुआ है अतः
 वादीगण का खतिदार को अतः कोषित किया जावे
 वादीगण का पिता रतना तथा प्रतिवादीगण का दादा
 प्येसा हिरा के पुत्र थे। अतः उनके आवंटन अकेले के
 हुआ है औ गभत है आवंटन निरस्त के निम्ने अपर
 कलक्टर महोदय अजमेर के न्यायालय में अपील भी
 अन्तर्गत धारा 14(4) भूराजस्व (कुछि हेतु भूमि कापेल)
 नियम 1970 के तहत प्रकरण सं. 34/16 दर्ज है
 जिरने प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 28/11/75
 के विरुद्ध अपील ही जाना पायी जाती है

अतः प्रस्तुत वाद में पार्टी का कोई अनुतोष
 किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः वादी का वाद पत्र
 मत्र हरजेखरजे के खारीज किया जाता है
 निर्णय अटल सेवा केन्द्र बरोल के मज में आम में
 सुनाया गया।

मुकेश
 सदस्य
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)

सदानन्द
 सदस्य
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)

15
 अध्यक्ष
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)